

बिहार सरकार
गृह (कारा एवं सुधार सेवाएँ) विभाग।

अधिसूचना

संख्या-कारा/नि0को0(क)-30/08 खण्ड-(i)...../कारा अधिनियम 1894, (एक्ट IX 1894) की धारा 59 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार कारा हस्तक, 2012 के अध्याय 04 के नियम 09 को निम्नलिखित द्वारा तुरत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करती है :-

संशोधन

“ 09 महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय पुलिस सेवा का पदाधिकारी होगा”।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव वर्मा)

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)
बिहार, पटना।

Notification

Number/Jail In exercise of the powers conferred by section-59 of the Prison Act, 1894 (Act IX of 1894), the Government of Bihar, is hereby pleased to substitute the Rule-09 of Chapter-04 of Bihar Prison Manual, 2012 by the following with immediate effect : -

Amendment

“ 09 The Inspector General, Prisons and Correctoinal Services shall be an officer of the Indian Administrative Service or Indian Police Service”.

By the Order of Governer of Bihar

Sd/-

(Rajeev Verma)

Joint Secreatary-cum-Director (Admin),
Bihar. Patna

ज्ञापांक- कारा/नि0को0(क)-30/08 खण्ड-(i)..... दिनांक-.....2016

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/नि0को0(क)-30/08 खण्ड-(i)..... दिनांक-.....2016


प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान आप्त सचिव/कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/नि0को0(क)-30/08 खण्ड-(i).1981 दिनांक-.....31-3-.....2016

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी कारा
अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


31.3.16
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)
बिहार, पटना।